



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243897
CG-DL-E-24022023-243897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944

No. 128]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा.सं. 18-36/11925-आईएनसी:—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, राधा गोविंद स्कूल ऑफ नर्सिंग राधा गोविंद नगर, लकी घाति, रामगढ़, जिला रामगढ़ - 829122, झारखंड एएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए झारखंड राज्य सरकार और झारखंड नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त है।

जबकि, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची - 834002, झारखंड को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम की 1947 धारा 14 के तहत मान्यता को वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-36/11925-आईएनसी दिनांक 09/02/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 09/02/2021 की एक प्रति राधा गोविंद स्कूल ऑफ नर्सिंग राधा गोविंद नगर, लकी घाति, रामगढ़, जिला रामगढ़ - 829122, झारखंड को भी भेजी गयी थी। जारी किये गए नोटिस में, राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, परिषद ने आईएनसी अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया। आवेदन को आईएनसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि अनुपालन योग्य नहीं था। संस्था को अनुपालन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। राधा गोविंद स्कूल ऑफ नर्सिंग से कोई अनुपालन प्राप्त नहीं हुआ।

जबकि, परिषद ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। दिनांक 24/01/2020 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियां हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियां। ये गंभीर कमियां बताती हैं कि संस्थान एएनएम कोर्स चलाने में असमर्थ है।

अब इसलिए, परिषद धारा 14 (3) (बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 25/06/2022 से राधा गोविंद स्कूल ऑफ नर्सिंग राधा गोविंद नगर, लकी घाति, रामगढ़, जिला रामगढ़ - 829122, झारखंड से एएनएम की मान्यता रखने वाला हर एक व्यक्ति झारखंड राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल झारखंड राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./654/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-36/11925-INC:— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Radha Govind School of Nursing** situated at **Radha Govind Nagar, Lalki Ghati, Ramgarh, Distt. Ramgarh – 829122, Jharkhand** is recognized by State Government of Jharkhand and Jharkhand Nurses & Registration Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-36/11925-INC dated 09/02/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Chief Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Jharkhand, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002, Jharkhand was issued. Copy of the notice dated 09/02/2021 was also enclosed to **Radha Govind School of Nursing** situated at **Radha Govind Nagar, Lalki Ghati, Ramgarh, Distt. Ramgarh – 829122, Jharkhand**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council received online application for inspection under Section 13 of INC Act, 1947. The application was rejected by INC as compliance was not tenable. The institution was supposed to submit compliance. No compliance received from Radha Govind School of Nursing.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 24/01/2020 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run ANM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 25/06/2022 any person holding a recognized qualification of ANM from **Radha Govind School of Nursing** situated at **Radha Govind Nagar, Lalki Ghati, Ramgarh, Distt. Ramgarh – 829122, Jharkhand** shall be entitled to be registered only in the State of Jharkhand subject the orders of **State government of Jharkhand**.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./654/2022-23]